

Scrital
6-4-17
Encl-1 page

6.4.17 Request-173

प्रेषक,

अनिल कुमार ओझा,
जनपद न्यायाधीश,
फैजाबाद।

ने/69
IV/2215

सेवा में,

लेखाधिकारी,
जी0ई0-2-अनुभाग,
कार्यालय महालेखाकार
(लेखा एवं हकदारी)द्वितीय,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

18-4-17

216
31/12/14

संख्या

फैजाबाद/दिनांक

विषय:-

मोटर कार अग्रिम मद में ब्याज की शेष धनराशि जमा के पश्चात्
अदेयता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)द्वितीय,
उ0प्र0, इलाहाबाद के पत्रांक-जी0ई0-2/गुप-2/एल आई डी-450/3-445
दिनांक 30.03.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें। उपरोक्त विषयक मद संख्या-49 में
ब्याज मद में बकाया धनराशि मु0 7,153/- (सात हजार एक सौ तिरपन) रूपये
का तंजरी चालान संख्या-FO30137 व बाउचर संख्या-131 दिनांकित 31.03.2017
से जमा कर दिया गया है, जिसकी प्रमाणित छायाप्रति संलग्न है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त मोटर कार अग्रिम की अदेयता
प्रमाण पत्र जारी करने की कृपा करें।

भवदीय

संलग्नक: यथोपरि

(अनिल कुमार ओझा)
जनपद न्यायाधीश,
फैजाबाद।

संख्या 1634/I-57/2016 फैजाबाद/दिनांक 01.4.2017

प्रतिलिपि श्री रमेश कुमार मालवीय, उप-निबन्धक(एम), माननीय
उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को मय संलग्नक सूचनार्थ सादर प्रेषित।

DR (RR) Admin
S.O. Admin AI

S.O. Admin
G.L.I.
DR

R/L
31/4/2017
DR

Anil K. Ojha
(अनिल कुमार ओझा)
जनपद न्यायाधीश,
फैजाबाद।
जिला न्यायाधीश
फैजाबाद

27-5-17
W.O. End

R.B
11-5-17

29-5-17

Request - 123

10815

2215

18-2-6-17

11/11



सत्यमेव जयते

कार्यालय महालेखाकार लेखा एवं हकदारी द्वितीय उ० प्र० इलाहाबाद ।

सं० जी०ई०-१/गुप-१/ अदेयता प्रमाण पत्र/एल०आई०डी०-४७४३२/२८

दिनांक - २७/०५/१७

सेवा में,

1. सचिव नियुक्ति अनुभाग-६ एनैक्सी भवन
उ० प्र० शासन लखनऊ
2. सचिव गृह पुलिस सेवायें अनुभाग-२ एनैक्सी भवन
उ० प्र० शासन लखनऊ
3. सचिव वित्त सेवायें अनुभाग-२
उ० प्र० शासन लखनऊ
4. निबन्धक उच्च न्यायालय
इलाहाबाद - २१००

विषय : श्री अनिल कुमार ओझा, एच० जे० एस० को स्वीकृत मोटरकार अग्रिम रू० ६००००.०० की अदायगी के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सूचित करना है कि शासनादेश संख्या उच्च न्यायालय के आदेश संख्या B-3/(2)X-93-M.C दिनांक 20-07-1993 के अन्तर्गत स्वीकृत मोटरकार अग्रिम रू० ६००००.०० के मूलधन की अदायगी मय ब्याज के इस कार्यालय के अभिलेखानुसार पूर्ण हो चुकी है ।

2. उक्त अग्रिम के विरुद्ध कुछ शेष नहीं है ।

सं० जी०ई०-१/गुप -१/अ० प्र० प०/एल०आई०डी०-४७४३२/

दिनांक

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन लखनऊ ।
2. श्री अनिल कुमार ओझा, जनपद न्यायाधीश, फैजाबाद-२२४००१

भवदीय
लेखाधिकारी

लेखाधिकारी

MAY 9 2017

A.R. (Admin H)

27/5/17

D.R. (Admin H)

D.R. (A.R.) Admn
S.O. Admn. H/A
Rpa
16/5/2017
DR

4
Ry AC
W.O.

DRM
(W.O.)
12 APR 2017

Scanned
5-12-16
W.O. Fact
D

Request-123

Reg No 588

IV/2215-215

14/12/16
15-12-16
7/11/16

उत्तर प्रदेश शासन

न्याय अनुभाग-1 (उच्च न्यायालय)

संख्या: अधि0:1468 / सात-न्याय-1-16-53(अ) / 2014

लखनऊ: दिनांक: 11 नवम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

(H)

937

श्री राज्यपाल महोदय न्याय एवं विधि परामर्शी सचिव शाखा के विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी श्री अनिल कुमार ओझा को प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेड्यूलि आयोग) की संस्तुतियों के आधार पर निर्गत नियुक्ति अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-6058/दो-4-2005-45(12)/91 टी0सी0, दिनांक 27-1-2006 में की गयी व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक माह, जनवरी, 2016 से माह अगस्त, 2016 तक की अवधि में आवास संख्या-3/494, विकल्प खण्ड-5, गोमती नगर, लखनऊ पर हुए विद्युत व्यय के सापेक्ष प्रतिपूर्ति हेतु अनुमन्य धनराशि रू0 4000/- (रूपया चार हजार मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-78 के लेखाशीर्षक-"2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेतर-090-सचिवालय-03-सचिवालय-09 विद्युत देय" के नामे डाला जायेगा।

रंगनाथ पाण्डेय,
प्रमुख सचिव।

संख्या: अधि0-1468(1) / सात-न्याय-1-16-तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 3- न्याय अनुभाग-8 (लेखा प्रकोष्ठ) को एक अतिरिक्त प्रति एवं मूल बिल बाउचर्स सहित इस अनुरोध के साथ कि कृपया उपर्युक्त धनराशि का भुगतान सम्बन्धित अधिकारी को करना सुनिश्चित करें।
- 4- सा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 5- इरला चेक अनुभाग को सूचनार्थ।
- 6- सम्बन्धित अधिकारी।
- 7- सचिवालय प्रशासन (बजट सेल) अनुभाग।
- 8- गार्ड बुक हेतु।

आज्ञा से,
निष्पत्ता
(डा0 निरूपमा वर्मा)
संयुक्त सचिव।

(18)

Reg B ✓

DR (M)

01 DEC 2016

Reg B (M)

only for informality
Leon
50 Adm H
Bnat 5
5-12-16
DR

Scanned
3-9-16
w.o. Encl

6-9-16

437 Request-123

IV/2215 214

उत्तर प्रदेश शासन

न्याय अनुभाग-1 (उच्च न्यायालय)

संख्या-अधि0- 1064/सात-न्याय-1-16-115(अ)/2006

लखनऊ: दिनांक: 19 अगस्त, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

14-9-16
12/9/16
13/9/16

श्री राज्यपाल महोदय न्याय एवं विधि परामर्शी सचिव शाखा के निम्नलिखित विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शीगण को प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेड्यूल आयोग) की संस्तुतियों के आधार पर निर्गत नियुक्ति अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-6058/दो-4-2005-45(12)/91 टी0सी0, दिनांक 27-01-2006 में की गयी व्यवस्था के अन्तर्गत उनके नाम के सम्मुख कालम-3 में अंकित अवधि में एवं इसके परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध कराये गये व्यय-प्रमाणक के आधार पर निजी वाहन में प्रयुक्त पेट्रोल/डीजल के क्रय हेतु व्यय की गयी धनराशि जिसका उल्लेख कालम-4 में किया गया है तथा जिसकी कुल धनराशि रू0 1,32,601/- (रू0 एक लाख बत्तीस हजार छः सौ एक मात्र) होती है, की प्रतिपूर्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	नाम/पदनाम	अवधि	प्रतिपूर्ति की धनराशि
1	2	3	4
2-	श्री पीयूष चन्द्र श्रीवास्तव, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी	मई, जून, जुलाई, 2016	रू0 15,187.00
3-	श्री घनश्याम पाठक, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी	मई, जून, जुलाई, 2016	रू0 15,465.00
4-	श्री अनिल कुमार ओझा, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी	मई, जून, 2016	रू0 10,764.00
5-	श्री चन्द्रमौलि शुक्ला, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी	मई, जून, जुलाई, 2016	रू0 15,187.00
6-	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी	मई, जून, 2016	रू0 10,764.00
7-	श्री मुशीर अहमद अब्बासी, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी	जून, जुलाई, 2016, मई, 2016 में अवकाश	रू0 10,274.00
8-	श्री अमरजीत त्रिपाठी, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी	मई, जून, जुलाई, 2016	रू0 16,170.00
9-	श्री जे0पी0 सिंह-11, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी	मई, जून, जुलाई, 2016	रू. 12,518.00
10-	श्री अब्दुल शाहिद, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी,	मई, जून, 2016 एवं जुलाई 18-7-16 तक	रू0 11,162.00
11-	श्री राजेशपति त्रिपाठी, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी,	मई, जून, जुलाई, 2016	रू0 15,110.00
		योग	रू0 1,32,601.00

(रूपया एक लाख बत्तीस हजार छः सौ एक मात्र)

BRUM)

9/9/16
Jalil

D.R.(A) direct the assistant
Please place this letter in the misc
file of judicial officer mentioned above name
only for information no action can be
required.

21/9/16
21/9/16

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-78 के लेखाशीर्षक-"2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-03-सचिवालय- 15-पेट्रोल/ अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा।

रगनाथ पाण्डेय,
प्रमुख सचिव।

संख्या: अधि0-1064(1)/सात-न्याय-1-16-115(अ)/2006-तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 3- अनुभाग अधिकारी न्याय अनुभाग-8 (लेखा प्रकोष्ठ) को एक अतिरिक्त प्रति एवं सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये व्यय प्रमाणक सहित इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त धनराशि का भुगतान सम्बन्धित अधिकारी को करना सुनिश्चित करें।
- ✓ 4- महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 5- इरला चेक अनुभाग।
- 6- सम्बन्धित अधिकारी।
- 7- सचिवालय प्रशासन (बजट सेल) अनुभाग।
- 8- अधिष्ठान समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,
(डा0 निरूपमा वर्मा)
अधु सचिव।

Revised = 123

6.7.16

327

IV/2215
212

RS
25-7-16
23/9/16
(23/9/11)

5.7.16
Total 22/000

(1)

उत्तर प्रदेश शासन
न्याय अनुभाग-1 (उच्च न्यायालय)
संख्या- अधि0-610/सात-न्याय-1-16-115(अ)/2006
लखनऊ: दिनांक: 27 मई, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

श्री राज्यपाल महोदय न्याय एवं विधि परामर्शी सचिव शाखा के निम्नलिखित विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शीगण को प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेड्यूलि आयोग) की संस्तुतियों के आधार पर निर्गत नियुक्ति अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-6058/दो-4-2005-45(12)/91 टी0सी0, दिनांक 27-01-2006 में की गयी व्यवस्था के अन्तर्गत उनके नाम के सम्मुख कालम-3 में अंकित अवधि में एवं इसके परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध कराये गये व्यय-प्रमाणक के आधार पर निजी वाहन में प्रयुक्त पेट्रोल/डीजल के कर्ष हेतु व्यय की गयी धनराशि जिसका उल्लेख कालम-4 में किया गया है तथा जिसकी कुल धनराशि रू0 1,31,400/- (रू0 एक लाख इक्तीस हजार चार सौ मात्र) होती है, की प्रतिपूर्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	नाम/पदनाम	अवधि	प्रतिपूर्ति की धनराशि(रू0 में)
1	2	3	4
1-	श्री पीयूष चन्द्र श्रीवास्तव, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी	फरवरी, 2016 से अप्रैल, 2016	रू0 14,464.00
2-	श्री घनश्याम पाठक, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी	फरवरी, 2016 से अप्रैल, 2016	रू0 15,053.00
3-✓	श्री अनिल कुमार ओझा, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी	फरवरी, 2016 से अप्रैल, 2016	रू0 15,317.00
4-	श्री चन्द्रमौलि शुक्ला, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी	फरवरी, 2016 से अप्रैल, 2016	रू0 14,541.00
5-	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी	फरवरी, 2016 से अप्रैल, 2016	रू0 15,317.00
6-	श्री मुशीर अहमद अब्बासी, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी	फरवरी, 2016 से अप्रैल, 2016	रू0 15,277.00
7-	श्री अमरजीत त्रिपाठी, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी	फरवरी, 2016 से अप्रैल, 2016	रू0 15,347.00
8-	श्री जे0पी0 सिंह-11, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी	फरवरी, 2016 से अप्रैल, 2016	रू0 11,625.00

कमशः पृष्ठ.....2/-

Registrar(J)(B)

1/CRG
21/6/16

DR(M)
22/6/16
Regd(J)(B)
27/6/16

(33)
Co-Adm H/1
21/6/16
04-7-16

(6)
25/6/16

9-	श्री राजेशपति त्रिपाठी, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी,	फरवरी, 2016 से अप्रैल, 2016	रु0 14,459.00
		योग	रु0 1,31,400.00

(रूपया एक लाख इक्तीस हजार चार सौ मात्र)

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-78 के लेखाशीर्षक-"2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-03-सचिवालय-15-पेट्रोल / अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा।


रंगनाथ पाण्डेय,
प्रमुख सचिव।

संख्या: अधि0-610(1)/सात-न्याय-1-16-115(अ)/2006-तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 3- अनुभाग अधिकारी (लेखा) लेखा प्रकोष्ठ, न्याय विभाग को न्याय अनुभाग-8 (लेखा) के माध्यम से एक अतिरिक्त प्रति एवं सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये व्यय प्रमाणक सहित इस अनुरोध के साथ कि उक्तानुसार निजी वाहन में प्रयुक्त पेट्रोल/डीजल की धनराशि की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शीगण को करने का कष्ट करें।
- 4- महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 5- इरला चेक अनुभाग को सूचनार्थ।
- 6- सम्बन्धित विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शीगण।
- 7- सचिवालय प्रशासन (बजट सेल) अनुभाग।
- 8- गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,



(डा0 निरूपमा वर्मा)
उप सचिव।

Sarital
4-8-16
Total-2 page

5/8/16

Reg No - 123

386
Register No. 4
File: IV/2215
Serial No. 213

उत्तर प्रदेश शासन

न्याय अनुभाग-1 (उच्च न्यायालय)

संख्या- अधि0-642/सात-न्याय-1-16-115(अ)/2006

लखनऊ: दिनांक: 11 मई, 2016

11-8-16 31/08/16

कार्यालय-ज्ञाप

402

न्याय अनुभाग-1 (उच्च न्यायालय) के कार्यालय ज्ञाप संख्या- अधि0-386/सात-न्याय-1-16-115(अ)/2006, दिनांक 25-2-2016 जिसमें न्यायिक अधिकारियों द्वारा निजी वाहनों में प्रयुक्त किये गये पेट्रोल/डीजल क्य हेतु व्यय की गयी रू0 1,31,267/- की धनराशि प्रतिपूर्ति के रूप में स्वीकृत की गयी थी परन्तु उक्त धनराशि का भुगतान बजट के अभाव में विगत वित्तीय वर्ष 2015-16 में नहीं किया जा सका। जिसके कारण उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25-2-2016 को निरस्त करते हुये अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में न्याय एवं विधि परामर्शी सचिव शाखा के निम्नलिखित विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शीगण को प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी आयोग) की संस्तुतियों के आधार पर निर्गत नियुक्ति अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-6058/दो-4-2005-45(12)/91 टी0सी0, दिनांक 27-01-2006 में की गयी व्यवस्था के अन्तर्गत उनके नाम के सम्मुख कालम-3 में अंकित अवधि में एवं इसके परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध कराये गये व्यय-प्रमाणक के आधार पर निजी वाहन में प्रयुक्त पेट्रोल/डीजल के क्य हेतु व्यय की गयी धनराशि जिसका उल्लेख कालम-4 में किया गया है तथा जिसकी कुल धनराशि रू0 90,725/- (रू0 नब्बे हजार सात सौ पचीस मात्र) होती है, की प्रतिपूर्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	नाम/पदनाम	अवधि	प्रतिपूर्ति की धनराशि(रू0 में)
1	2	3	4
1-	श्री पीयूष चन्द्र श्रीवास्तव, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी	दिसम्बर, 2015 से जनवरी, 2016	रू0 10,072.00
2-	श्री घनश्याम पाठक, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी	दिसम्बर, 2015 से जनवरी, 2016	रू0 10,495.00
3-	श्री अनिल कुमार ओझा, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी	दिसम्बर, 2015 से जनवरी, 2016	रू0 10,201.00
4-	श्री चन्द्रमौलि शुक्ला, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी	दिसम्बर, 2015 से जनवरी, 2016	रू0 10,499.00
5-	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी	दिसम्बर, 2015 से जनवरी, 2016	रू0 10,499.00
6-	श्री मुशीर अहमद अब्बासी, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी	दिसम्बर, 2015 से जनवरी, 2016	रू0 10,416.00

47
PS to R.G.
wae

30 JUL 2016

Reg(L)(B)

✓

RG
01-08-16

DRCM

7/01/08/16
Reg(L)(B)

S. Anand (H) (P)

9/08/16

Rev. A-123

7-	श्री अमरजीत त्रिपाठी, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी	दिसम्बर, 2015 से जनवरी, 2016	रु0 10,499.00
8-	श्री जे0पी0 सिंह-11, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी	दिसम्बर, 2015 से जनवरी, 2016	रु0 7,790.00
9-	श्री राजेशपति त्रिपाठी, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी,	दिसम्बर, 2015 से जनवरी, 2016	रु0 10,254.00
		योग	रु0 90,725.00

(रूपया नब्बे हजार सात सौ पचीस मात्र)

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-78 के लेखाशीर्षक-"2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-03-सचिवालय-15-पेट्रोल / अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा।


अब्दुल शाहिद,
प्रमुख सचिव।

संख्या: अधि0-642(1)/सात-न्याय-1-16-115(अ)/2006-तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 3- अनुभाग अधिकारी (लेखा) लेखा प्रकोष्ठ, न्याय विभाग को न्याय अनुभाग-8 (लेखा) के माध्यम से एक अतिरिक्त प्रति एवं सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये व्यय प्रमाणक सहित इस अनुरोध के साथ कि उक्तानुसार निजी वाहन में प्रयुक्त पेट्रोल/डीजल की धनराशि की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शीगण को करने का कष्ट करें।
- 4- महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 5- इरला चेक अनुभाग को सूचनार्थ।
- 6- सम्बन्धित विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शीगण।
- 7- सचिवालय प्रशासन (बजट सेल) अनुभाग।
- 8- गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,


(डा0 निरूपमा वर्मा)
उप सचिव।